दस रुपये TEN RUPEES

1

13

न्या० श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर मध्य -प्रदेश

- -

प्र० क्र० R-2878-III/14 बसन

1- रामकृपाल तनय बिहारीलाल अग्रवाल ,

2- जितेन्द्र सिंह तनय कन्हैयालाल शर्मा निवासी

ग्राम बड़ामलहरा तहसील व थाना बड़ामलहरा

जिला छतरपुर म०प्र०

3- मुहम्मद रोशन तनय मु. रफीक मुसलमान

निवासी छतरपुर जिला छतरपुर म०प्र० - - - - निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

1- म० प्र० शासन म०प्र०

2- सुरेश कुमार तनय गुलाबचन्द्र जैन ,

3- डॉ. मातादीन तनय भुमानीदीन अग्रवाल ,

4- श्रीमति ज्योत्सना पत्नी स्व० राकेश अग्रवाल ,

5- हरिया तनय गुच्चा चमार (अहिरवार)

6- सरोज पत्नी महेश डेवडिया ,

7- अनिल कुमार तनय शंभू कुमार जैन,

8- हरप्रसाद तनय गंन्चा चमार एवं उर्मिला पुत्री गुन्चा

9- कन्हैयालाल तनय भैयालाल एवं गरीब तनय उर्मिला पुत्री

गुन्चा चमार ,

10- श्रीमति उर्मिला पत्नी रमेश असाटी ,

11- अरूण कुमार तनय कशोर चन्द्र बासुदेव

~~[illegible]~~ ,

12- शीलचंद तनय धरमदास जैन

पेश द्वारा पी. अग्रवाल ऐडवोकेट आज दि. 3-9-14 को
स्तुत
3-9-14
क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक-निगरानी- 2878- तीन/2014 जिला-छतरपुर

रामकृपाल विरूद्ध शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक ब्राहम्ण की ओर से अभिभाषक श्री एम.पी. भटनागर उपस्थित। आवेदक के द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 479/ निग./2004-05 में पारित आदेश दिनांक 22-12-2007 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 03-09-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर	
2/1/19		

के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

2.1.19

(आर.के. जैन)
सदस्य